सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 854 राँची, सोमवार

16 अग्रहायण, 1937 (श०)

7 दिसम्बर, 2015 (ई०)

## खान एवं भूतत्व विभाग ।

---

अधिसूचना

**24** नवम्बर**, 2015**

संख्या-ख0नि0(विविध)-76/2015-**2435/**एम0, राँची, झारखण्ड सरकार ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार/व्यक्तियों के हितों की रक्षा एवं आधारभूत संरचना सुविधाओं को मुहैया कराने के उद्धेश्य से झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा-9B में उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के गठन करने का निर्णय लिया है।

**2.** उक्त अधिनियम की धारा-9B के अन्तर्गत राज्य सरकार को भेजे गए आदर्श न्यास विलेख को सभी जिलों में शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति को गठन कर क्रियान्वित किया जाना है।

**3.** जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

**(क) न्यास परिषद:-**

| | **नाम-** | **शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट** |
|---|---|---|
| i. | उपायुक्त - | अध्यक्ष |
| ii. | उप विकास आयुक्त- | सदस्य सचिव |
| iii. | आरक्षी अधीक्षक- | सदस्य |
| iv. | संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी | सदस्य |
| v. | जिला शिक्षा पदाधिकारी - | सदस्य |
| vi. | असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- | सदस्य |
| vii. | संबंधित उप निदेशक, खान- | सदस्य |
| viii. | संबंधित उप निदेशक, भूतत्व- | सदस्य |
| ix. | संबंधित जिला खनन पदाधिकारी- | सदस्य |
| x. | अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xi. | झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xii. | माननीय सांसद के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xiii. | जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xiv. | दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा- | सदस्य |
| xv. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख- | सदस्य |
| xvi. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया- | सदस्य |

**(ख) प्रबंधकीय समिति:-**

| | | |
|---|---|---|
| i. | उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| ii. | आरक्षी अधीक्षक | - सदस्य |
| iii. | उप विकास आयुक्त-सदस्य सचिव | |
| iv. | संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी- | - सदस्य |
| v. | जिला/सहायक खनन पदाधिकारी | -सदस्य |
| vi. | असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | -सदस्य |

vii. जिला पंचायती राज पदाधिकारी -सदस्य

**4.** जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का उद्धेश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के हित-लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

**5.** उपायुक्त ट्रस्ट के नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में खाता राज्यादेश प्राप्त होते ही खोल देंगें, जिसके संचालन हेतु प्रबंधकीय समिति पदाधिकारीगण को प्राधिकृत कर सकेगी।

**(क)** जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टा या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जाएगी।

**(ख)** वैसे पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व/दर से अनाधिक राशि इस कोष में प्राप्त की जाएगी एवं इस राशि से ही ट्रस्ट अपना कार्य करेगी।

**6.** शासी परिषद में नामित न्यासी का कार्यकाल 03 वर्षों का होगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्हें शासी परिषद में न्यासी के रूप में नामित किया गया है, उनकी अवधि दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

**7.** शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कत्र्तव्य जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में उल्लेखित निदेश/कृत्य के आलोक में होंगें।

**8.** जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को संलग्न मानक विलेख के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव/उप सचिव एवं सदस्य सचिव (उप विकास आयुक्त) के बीच निबंधित विलेख निष्पादित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा।

**9.** इस ट्रस्ट के गठन के लिए जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय व्यय से 1000/-(एक हजार) रूपया प्रारम्भिक परिनिर्धारण (intital settlement) मुहैया करायेंगें।

**10.** यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सत्य प्रकाश नेगी**
सरकार के विशेष सचिव ।

# (जिला का नाम) जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट विलेख

यह विलेख आज ..... दिनांक-..... वर्ष 2015 को निष्पादित किया गया।

द्वारा

झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव/उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के मुख्यालय, राँची द्वारा राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष, जिन्हें ''व्यवस्थापक'' कहा जायेगा- **प्रथम पक्ष**

नीचे अंकित पदधारी/न्यासकर्त्ता या उसके उत्तरदायी, जब तक कि इस विषय के संबंध में अन्यथा अभिव्यक्त न किया गया है, के पक्ष में विलेख निष्पादित किया जाता है द्वितीय **पक्ष**

**(क) न्यास परिषदः-**

| | **नाम-** | **शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट** |
|---|---|---|
| i. | उपायुक्त - | अध्यक्ष |
| ii. | उप विकास आयुक्त- | सदस्य सचिव |
| iii. | आरक्षी अधीक्षक- | सदस्य |
| iv. | संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी | सदस्य |
| v. | जिला शिक्षा पदाधिकारी - | सदस्य |
| vi. | असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- | सदस्य |
| vii. | संबंधित उप निदेशक, खान- | सदस्य |
| viii. | संबंधित उप निदेशक, भूतत्व- | सदस्य |
| ix. | संबंधित जिला खनन पदाधिकारी- | सदस्य |
| x. | अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xi. | झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xii. | माननीय सांसद के प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xiii. | जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि- | सदस्य |
| xiv. | दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा- | सदस्य |
| xv. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख- | सदस्य |
| xvi. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया- | सदस्य |

चूँकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा-9B अन्तर्गत, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में किया जाना है, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों-परिवार के हितों व लाभों की रक्षा करने का कार्य राज्य द्वारा यथा निर्देशित ढंग से किया जा सके। एवम्

चूँकि इस उद्धेश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने यह विनिश्चिय किया है कि एक गैर लाभकारी न्यास का गठन राज्य सरकार अन्तर्गत किया जाए ताकि गठित न्यास अन्तर्गत प्राप्त कोष से खनन क्षेत्र में रहने वाले खनन प्रभावित लोगों का समुचित विकास राज्य सरकार द्वारा विहित निदेर्शित ढंग से व्यवस्थापक द्वारा किया जा सके। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट बनाए जाने के उद्धेश्य से न्यासी के नियंत्रणधीन 1000/- (एक हजार) रूपये से प्रारम्भिक पुरिनिर्धारिण किया जाता है।

**अब यह न्यास विलेख इस प्रकार है :-**

**1. परिभाषा एवं निर्वचन**

इस न्यास विलेख में यदि संदर्भ की आवश्यकता भिन्न नहीं हो तो निम्नांकित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से माने जाएंगे :-

**i.** अधिनियम का अर्थ है :- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

**ii.** न्यासी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक/चार्टड अकाउण्टेंट में व्ययस्थापक द्वारा प्राधिकृत या महालेखाकार झारखण्ड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक भी समझे जाएगें।

**iii.** 'लाभुक' का अर्थ है खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्ति।

**iv.** अंशदान का अर्थ है :- **(क)** जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टे या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जाएगी।

**(ख)** वैसे पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व/दर से अनाधिक राशि इस कोष में प्राप्त की जाएगी।

**v.** अंशदान कोष का अर्थ है, जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टाधारक से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप अशंदान प्रतिशत में स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक प्राप्त राशि का कोष।

**vi.** ''जिला दण्डाधिकारी' का अर्थ है, राजस्व प्रशासन का जिला में प्रमुख अधिकारी जिसे समाहत्र्ता या उपायुक्त के नाम से भी नाम निर्दिष्ट हों।

**vii.** ''जिला पंचायत का अर्थ है, जिला परिषद या कोई अन्य प्राधिकार , जिसे संविधान की अनुसूची V एवं VI में समान दायित्व उन क्षेत्रों में दिया गया है।

**viii.** ''शासी परिषद'' का अर्थ है, सभी न्यासी की परिषद, जो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में है और जिसे न्यास परिषद के रूप में जाना जायेगा।

**ix.** ''अध्यादेश'' का अर्थ है ''खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015''

**x.** ''न्यास का अर्थ'' है, (जिला का नाम) जिला खनिज फाण्डेशन ट्रस्ट, जो व्यवस्थापक द्वारा बनाया गया है।

**xi.** ''वर्ष'' का अर्थ है, पहली अप्रैल से प्रारम्भ एवं 31 मार्च को अगले वर्ष समाप्त होने वाला वर्ष या अंश, जो 31 मार्च को समाप्त होगा।

**(2)** एकवचन में प्रयुक्त शब्द में वहुवचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त शब्द में एकवचन क्रमश: सम्मिलित समझे जाएगें।

**(3)** जिन शब्दों का अर्थ पुर्लिग है, उसमे में स्त्रीलिंग एवं उभयलिंग भी सम्मिलित समझे जाएगें।

**2. न्यास का नाम** :- इन न्यास को ''(जिला का नाम) खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट'' के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय जिले के उपायुक्त के कार्यालय में अवस्थित होगा।

**3. उद्धेश्य :-** जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का उद्धेश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों तथा क्षेत्र के हित-लाभ के लिए योजना का सूत्रण, स्वीकृति व कार्यान्वयन, जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

**4. नियुक्ति एवं घोषणा :- न्यास परिषद का न्यासी**

**(1)** व्यवस्थापक सभी न्यासी को न्यास परिषद का न्यासी नियुक्त करते हैं, जिसका गठन हो रहा है एवं सभी न्यासी यह नियुक्ति निम्न शर्तों एवं प्रावधानों के साथ स्वीकार करते हैं।

**(2)** न्यासी जिन्हें पदनाम से शासी परिषद का न्यासी नियुक्त किया गया है, अपने पद पर बने रहते हुए न्यासी का पद धारित रखेंगें एवं उनके पदमुक्त होने तथा प्रतिस्थानी के आने पर उनके प्रतिस्थानी न्यास परिषद में उनके स्थान पर पदभार लेने के साथ ही स्वत: न्यासी हो जाऐगें।

**(3)** नामित न्यासी की कार्यावधि नियुक्ति से 03 वर्ष तक की होगी एवं उनके बाद नामित करने वाले प्राधिकार उनके नियुक्ति को अगले कार्यकाल तक नवीकृत या अन्य व्यक्तियों को उन स्थानों पर नामित कर सकेगा, परन्तु ऐसे नामित न्यासी का दो कार्यकाल तीन-तीन वर्षों से अधिक का नहीं होगा।

**(4)** व्यवस्थापक कभी भी न्यासी की संख्या एवं कोटि में बृद्धि कर सकते है, जो उनको उपयुक्त लगे।

**(5)** व्यवस्थापक कभी भी न्यासी को हटा सकेगे एवं अन्य को न्यासी नियुक्त कर सकेगें। जिस न्यासी को व्यवस्थापक द्वारा हटाया गया है वह निष्कासन की तिथि से हटाये गये समझे जाएगें।

**(6)** न्यासी के अधिकार में न्यास का कोष इस न्यास विलेख में दिए गए अधिकार एवं उपबंध के अन्तर्गत रहेगा एवं वे न्यास के कार्यकाल के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं की सम्पति को ग्रहण कर अपने न्यास के कोष में रख सकेगा।

**5. न्यास का प्रबंधन** :- न्यास का प्रबंधन न्यास परिषद के अन्तर्गत रहेगा, जिसमे न्यास के सभी सदस्य सम्मिलित होंगें, परन्तु दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन प्रबंधकीय समिति द्वारा यथा कंडिका-9 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। व्यवस्थापक, प्रबंधकीय समिति की संरचना को बदलने का निर्णय कभी भी ले सकेगा।

**6. न्यास का निर्णय :-**

(1) न्यासी द्वारा सभी निर्णय न्यास परिषद की बैठक में लिए जायेंगें एवं ऐसी सभी बैठकों को न्यास की बैठक समझा जाएगा।

(2) शासी परिषद के सभी निर्णय बहुमत पर सदस्यों की उपस्थिति एवं मत के आधार पर होगें। मत के बराबरी पर बैठक के अध्यक्ष को विशेष मताधिकार प्राप्त होगा।

(3) बिना व्यवस्थापक के अनुमति के न्यासी द्वारा इस न्यास विलेख के किसी भी अंश को संशोधित नहीं किया जाएगा।

(4) न्यासी, शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति व्यवस्थापक द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश, मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेंगें।

**7. शासी परिषद के अधिकार एवं कृत्य :-**

**शासी परिषद के सभी न्यासी निम्न कार्यों हेतु उत्तरदायी होंगें :**

**-**

**(1)** शासी के कृत्यों के लिए नीति निर्धारण एवं समय समय पर कृत्यों की समीक्षा एवं वार्षिक कार्ययोजना, बजट का निर्माण एवं अनुमोदन।

**(2)** वार्षिक कार्ययोजना न्यास परिषद द्वारा आगामी वर्ष के एक माह पूर्व तैयार कर ली जाएगी। वार्षिक कार्य योजना में योजना एवं परियोजना की सूची एवं अनुमोदित प्रावधानों का उल्लेख होगा।

परन्तु यदि किसी कारणवश शासी परिषद द्वारा वार्षिक योजना एवं बजट का निर्माण एवं अनुमोदन नियत समय में नहीं किया जा सके, तब शासी परिषद के अध्यक्ष कार्ययोजना एवं बजट को तैयार कर अनुमोदित कर सकेगें। इस प्रकार से विर्निदिष्ट कार्य योजना व बजट न्यासी परिषद द्वारा तैयार एवं अनुमोदित समझा जाएगा।

परन्तु, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय विगत प्रतिवद्धता एवं देनदारियों का भी मूल्यांकन कर लिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी परिस्थिति में विगत देनदारियाँ एवं प्रतिवद्धता, आगामी वर्ष में प्राप्त होने वाली रोकड़ से तीन गुणा से अधिक न हो।

**(3)** यदि व्यवस्थापक द्वारा इस न्यास के उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध न्यास के कोष से कोई व्यय का निर्धारण किया गया है, तो उसका अनुमोदन।

**(4)** प्रंबंधकीय समिति के अनुशंसा को अनुमोदित करना।

**(5)** न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर अनुमोदित करना।

**8. शासी परिषद की बैठक :-**

**(1)** शासी परिषद, जहाँ आवश्यक हो बैठक आयोजित कर सकेगी, परन्तु प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार अवश्य बैठक करेगी।

**(2)** शासी परिषद की बैठक के अध्यक्ष के इच्छानुसार बुलायी जा सकेगी।

**(3)** कुल सदस्यों के 1/3 (एक तिहाई) भाग उपस्थित रहने पर कोरम पूर्ण माना जाएगा।

**9. प्रबंधकीय समिति :- न्यास के मामले/कार्य, प्रबंधकीय समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे एवं इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगें :-**

**प्रबंधकीय समिति:-**

| | | |
|---|---|---|
| **i.** | उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| **ii.** | आरक्षी अधीक्षक | - सदस्य |
| **iii.** | उप विकास आयुक्त-सदस्य सचिव | |
| **iv.** | संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी- | - सदस्य |
| **v.** | जिला/सहायक खनन पदाधिकारी | -सदस्य |
| **vi.** | असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | -सदस्य |
| **vii.** | जिला पंचायती राज पदाधिकारी | -सदस्य |

**10. प्रबंधकीय समिति की बैठक :-** एक वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय समिति की बैठक कम से कम 06 बार अध्यक्ष के निर्णयानुसार की जाएगी।

**11. प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कृत्य :- प्रबंधकीय समिति**

(1) न्यास के हित को सुरक्षित रखते हुए अपने कत्तव्र्य का निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करेगी।

(2) संबंधित पट्टेधारियों से अधिनियम के प्रावधानुसार समेकित अंशदान को ससमय जमा कराएगी।

(3) न्यास के कार्यों के मास्टर प्लान/विजन अभिलेख, परियोजना प्रस्ताव एवं स्कीम तैयार करेगी।

(4) वार्षिक योजना एवं बजट के निर्माण में न्यास को सहयोग करेगी।

(5) वार्षिक योजना एवं अनुमोदित परियोजना का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करेगी।

(6) परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष की विमुक्ति एवं संवितरण करेगी।

(7) न्यास कोष का संचालन न्यास के नाम बैंक खाता खोलकर, लेखा एवं निवेश का संचालन करेगी।

(8) न्यास कोष के प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा को शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(10) न्यास के सफल संचालन हेतु नियम को तैयार/अनुमोदित करेगी।

**12. न्यास कोष :-**

**जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में निम्नांकित सम्मिलित होंगें :-**

(1) व्यवस्थापक द्वारा प्रारम्भिक परिनिर्धारण।

(2) व्यवस्थापक या अन्य एजेन्सी, संस्थान या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान, अंशदान या अन्य रकम अदायगी।

(3) अधिनियम की दूसरी अनुसूची में यथा उल्लेखित स्वामिस्व की दर पर खनन पट्टाधारी, सह-खनन पट्टेधारी से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वामिस्व दर के प्रतिशत के समतुल्य प्राप्त राशि।

(4) पूँजीनिवेश अन्य जमा पर उदभूत ब्याज , जो लागू हो।

(5) न्यास की अन्य सभी सम्पति एवं आय , जो पूँजी बृद्धि से प्राप्त हुई हो।

**13. न्यास कोष का संचालन :-** न्यास के नाम से, एक या अधिक अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों, में खाता खोलकर रखा जा सकेगा, जिसका संचालन सदस्य सचिव एवं प्रबंधकीय समिति के अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रबंधकीय समिति के प्राधिकृत करने के उपरांत किया जा सकेगा। न्यास इस कोष की लेखा विवरणी का रख रखाव करेगा।

**14. न्यास कोष से खर्च :-**

न्यास के पास उपलब्ध कोष से निम्नांकित व्यय किया जा सकेगा :-

(1) खनन संबंधित कार्यों के कारण जिले के प्रभावित क्षेत्रों में न्यासी द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सामाजिक आर्थिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु समेकित विकास का कार्य।

(2) स्थानीय सामाजिक आर्थिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण।

(3) खनन प्रभावित क्षेत्र में समुदायिक आस्तियों एवं सेवाओं को स्थानीय आबादी को मुहैया कराना व उनका अनुरक्षण एवं उन्नयन करना।

(4) स्वरोजगार व रोजगार सृजन के उद्धेश्य से कौशल एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण संचालित करना, परन्तु कुल प्राप्त वार्षिक कोष के 6 प्रतिशत से अधिक राशि का व्यय न्यास द्वारा प्रशासनिक या स्थापना खर्च में नहीं किया जाएगा,

परन्तु, न्यास कोष से किसी प्रकार का अग्रिम या नकद अनुदान किसी भी लाभुक को नहीं दिया जाएगा।

**15. खर्च का अवभार :-**

**निम्नांकित खर्च न्यास के कोष से किए जा सकेगें।**

(1) न्यास के कार्य या संचालन में कुल खर्च, जिससे वसूली एवं निवेश के हित लाभ साधे गये हो।

(2) न्यासी द्वारा कोई संसाधन या अंशदान प्राप्त करने में हुए खर्च (एकरारनामा या विलेखों के निष्पादन निबंधन में हुए प्रारम्भिक व्यय)।

(3) विधिक कार्यवाही में उत्पन्न खर्च, जो न्यासी द्वारा या विरूद्ध हुए हो, से संबंधित व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक परामर्शी का खर्च।

(4) सभी वैधानिक एवं कानूनी व्यय जो न्यास के संचालन में हुये हों, यथा शुल्क, उद्ग्रहण, अन्य खर्च सहित।

(5) बैठक एवं कार्यवाही संचालित करने में हुए व्यय।

**16. लेखा एवं अंकेक्षण :-**

**1.(i)** (क) प्रबंधकीय समिति द्वारा लेखा विवरणी, दस्तावेजों व अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, जिससे न्यास कोष की सही एवं स्वच्छ स्थिति प्रदर्शित हो।
(ख) एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत योग्य अंकेक्षक द्वारा न्यास के लेखा का अंकेक्षण किया जाएगा।

**(ii)** न्यासी द्वारा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षण की सूची में से शासी परिषद की बैठक में जैसी शत्र्ते एवं प्रावधान, न्यासी तय करेंगें के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।

**(iii)** अंकेक्षक को न्यासी द्वारा हटाया एवं परिवर्तित किया जा सकेगा।

**2.** उपरोक्त कंडिका-1 में होते हुए भी व्यवस्थापक किसी अंकेक्षक को नियुक्त कर सकेगा या महालेखाकार द्वारा अंकेक्षक नियुक्त कराकर किसी वर्ष या अवधि का अंकेक्षण जिस शत्र्त पर कराना चाहे, उसे कराने का निर्णय ले सकेगा।

**3.** न्यास अपने आगामी वर्ष का आय-व्ययक, योजना, परियोजना एवं स्कीम की अनुमोदित प्रतियाँ जिला पंचायत/जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग, योजना विभाग) के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजेगा।

**4.** प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा अनुमोदित परियोजना आदि की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां जिला पंचायत , जिला प्रशासन को अविलम्ब बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु भेज दी जाएगी।

**5.** वित्तीय वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा न्यास परिषद से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के बेबसाईट में प्रकाशनार्थ भेज दिया जाएगा।

**17. प्रशासनिक व्यवस्थाएँ :-**

**(1)** राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत कर्मियों (जिला पंचायत में कार्यरत कर्मी सहित) की सेवा न्यास के प्रबंधन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी।

**(2)** न्यास परिषद व्यवस्थापक/ राज्य सरकार से यथेष्ट संख्या में मुख्य कर्मी अपने किसी विभाग या जिला परिषद या अन्य संवर्ग से प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए देने का अनुरोध कर सकेगी। इन प्रतिनियुक्ति कर्मियों की सेवा अपने मूल संवर्ग में ही रहेगी। न्यास इस कार्य के निमित अधिकतम 3 प्रतिशत का खर्च वहन कर सकेगी (यह 3 प्रतिशत कंडिका 14(4) में किए गए 6 प्रतिशत के अधीन होगा)।

**(3)** न्यास किसी सेवा प्रदाता से न्यास को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के निमित ऐसी सेवा ले सकेगी एवं आकस्मिक खर्च से इस कार्य का वहन कर सकेगी।

**18. न्यासी का दायित्व :-**

**(1)** न्यासी ऐसे किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जो पूरे सदभाव, अधिकार एवं सतर्कता से किया गया हो। किसी बैंक, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिनके पास नेक नियत से न्यास का कोष रखा गया हो, के गलती या निवेश के अपर्याप्त होने पर या अनैच्छिक हानि के लिए वह जिम्मेवार नहीं होगा।

**(2)** सभी न्यासी एवं एटर्नी, एजेन्ट, जिसे न्यास द्वारा नियुक्त किया गया हो, को न्यास कोष से सभी दायित्व, हानि, कार्य को करने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, वशर्ते ऐसे कार्यों को छोड़कर जो लापरवाही अथवा कदाचार से किए गए हो परन्तुक ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में कुल प्राप्त अंशदान से अधिक नहीं होगी।

**19. न्यासी का पारिश्रमिक :-**

न्यासी द्वारा दिए गए सेवा के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

**20. संशोधन :-**

व्यवस्थापक/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस विलेख को संशोधित किया जा सकेगा।

**21. न्यास की मोहर :-**

शासी परिषद की बैठक में न्यासी द्वारा न्यास की मोहर की स्वीकृति एवं समय-समय पर उसे नष्ट या नये रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष के पास न्यास की मुहर रहेगी एवं वे इसका न्यास के स्थान पर व्यवहार कर सकेगे।

**22. प्रतिसंहरित :-** व्यस्थापक के विवेक एवं स्वेच्छा से न्यास को प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। न्यास उस अवधि तक कार्य कर सकेगा, जैसा व्यवस्थापक द्वारा विर्निदिष्ट किया जाएगा। न्यास की समाप्ति के उपरांत सभी आस्तियाँ एवं देनदारी राज्य सरकार में हस्तांतरित हो जाएगी।

राज्य सरकार के वास्ते हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

**उप विकास आयुक्त**
**-सह-**
**सदस्य सचिव (जिला का नाम)**

**संयुक्त/उप सचिव**

दिनांक:-

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 854—50 ।